विनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशे
10.5.18	पत्रावली राजस्वलोक अदालत अभियान-न्याय आपके द्वारा अभियान-2018 में अटल सेवा केन्द्र कौरसीना पर पेश हुई वादिकश्च स्वयं उपस्थित सुना गया पत्रावली का ~~अवलोकन~~ अवलोकन किया वादिगण ने दावा प्रविवादी सं. 1 मोती पुत्र आनन्दा नाम का कोई व्यक्ति नहीं होना बताकर प्रस्तुत किया है मध्य में आम में सुना गया इस नाम का अर्थात् मोती पुत्र आनन्दा नाम का कोई व्यक्ति आराजी पर काबिज न होना नहीं पाया अतः तहसीलदार फुलेरा को निर्देश दिये जाते है कि विवाद आराजी के सम्बन्ध में राजगामी अधिनियम कि धारा-4 के अनुसार ~~[illegible]~~ कब्जराज ने लेने कि कार्यवाही करे वादीगण मे वाद तथ्यों को प्रथम इतना सिद्ध नहीं किया है अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली पेशल सुमार होकर दर्ज नं. से कम हो। आदेश मद में आम में सुना गया उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक	

Scanned by CamScanner